



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 ज्येष्ठ, 1947 (श०)

संख्या - 272 राँची, शुक्रवार,

20 जून, 2025 (ई०)

जल संसाधन विभाग

शुद्धिपत्र

13 जून, 2025

पत्रांक :- 1/PMC/कोर्ट केस /22/2024-466--

विषय:- दिनांक-01.04.2011 से लागू जलदर अधिसूचना संख्या-272 दिनांक 01.04.2011 में भूतलक्षी प्रभाव से जलदर में संशोधन हेतु पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या 1/PMC/कोर्ट केस/22/2024-884 दिनांक-14.10.2024 में संशोधन करने के संबंध में।

1. विभागीय संकल्प संख्या-1/PMC/कोर्ट केस/22/2024-884, दिनांक-14.10.2024 की कंडिका-14 में निम्नरूपेण संशोधन किया जाता है -

विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के क्रम में दिनांक-01.04.2011 से लागू जलदर अधिसूचना संख्या-272, दिनांक-01.04.2011 में भूतलक्षी प्रभाव से जलदर में संशोधन करते हुए औद्योगिक इकाइयों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों/निजी संस्थानों/निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा म्यूनिसिपल उपयोग एवं पेयजलापूर्ति हेतु अलग जलदर का निर्धारण निम्नरूपेण किया जाता है-

(दर-प्रतिहजार गैलन, प्रतिवर्ष 7.5 फीसदी वृद्धि के अनुरूप)

क्रम संख्या	उपयोग	लागू अवधि	प्राकृतिक जलश्रोत (नदी नाला वितरणी) से आपूरित जलकर दर	जलाशय से आपूरित जलकर दर	नहर से आपूरित जलकर दर
1.	औद्योगिक इकाइयों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों/निजी संस्थानों/निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा म्यूनिसिपल उपयोग एवं पेयजलापूर्ति हेतु	दिनांक-01.04.2011 से दिनांक-31.03.2012 तक	7.90	8.50	21.00
		दिनांक-01.04.2012 से दिनांक-31.03.2013 तक	8.49	9.14	22.58
		दिनांक-01.04.2013 से दिनांक-31.03.2014 तक	9.13	9.82	24.27
		दिनांक-01.04.2014 से दिनांक-31.03.2015 तक	9.81	10.56	26.09
		दिनांक-01.04.2015 से दिनांक-31.03.2016 तक	10.55	11.35	28.04
		दिनांक-01.04.2016 से दिनांक-31.03.2017 तक	11.34	12.20	30.15
		दिनांक-01.04.2017 से दिनांक-31.03.2018 तक	12.19	13.12	32.41
		दिनांक-01.04.2018 से दिनांक-31.03.2019 तक	13.11	14.10	34.84
		दिनांक-01.04.2019 से दिनांक-31.03.2020 तक	14.09	15.16	37.45
		दिनांक-01.04.2020 से दिनांक-31.03.2021 तक	15.15	16.30	40.26
		दिनांक-01.04.2021 से दिनांक-31.03.2022 तक	16.28	17.52	43.28
		दिनांक-01.04.2022 से दिनांक-31.03.2023 तक	17.50	18.83	46.53

- एतद्सम्बन्धी पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-1/PMC/कोर्ट केस/22/2024-884, दिनांक-14.10.2024 की कंडिका-14 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।
- अन्य कंडिका यथावत रहेंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,
सचिव
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।
